REET 2025
LEVEL-2
वंदन बैच
POLITY
सामाजिक न्याय
LIVE
11-01-2024 07:00 PM

सामाजिक न्याय

समाज में जो सुविधाएँ और अवसर हम अपने लिए चाहते है, वहीं दूसरों को भी दें, यहीं सामाजिक न्याय है।

न्याय के प्रकार

- सामाजिक न्याय
- आर्थिक न्याय
- राजनीतिक न्याय

सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी

- व्यक्ति की A
- समाज की B
- सरकार की C
- उपर्युक्त सभी D

सामाजिक न्याय का उद्देश्य

- समतामूलक समाज की स्थापना
  सभी को समान
- प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास का अवसर प्रदान करना।

आर्थिक असमानता

- विश्व के सभी समाजों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास धन-संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन समाज के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक होते हैं।

- ये संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों में असमान रुप से बंटे हुए हैं। इस कारण से समाज में अमीरी और गरीबी होती है।
- आर्थिक असमानता की यह स्थिति तकनीकी रुप से उन्नत समाजों में भी पायी जाती है। अमेरिकी समाज में अश्वेतों की स्थिति इस बात का उदाहरण है।
- विश्व के 80 प्रतिशत गरीब केवल 20 प्रतिशत संसाधनों के सहारे अपना जीवन बिताते है।

सामाजिक असमानता

- सामाजिक असमानता व्यक्तियों के मध्य विद्यमान सहज भिन्नता एवं व्यक्तिगत क्षमता के कारण नहीं होती है।
- सामाजिक असमानता का मुख्य कारण सामाजिक बहिष्कार है जिसके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है और उसे हाशिए पर रखा जाता है। इसके परिणामस्वरुप सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है।

- बच्चे अपने माता-पिता की जो सामाजिक प्रस्थिति होती है, उसी को पाते हैं, अर्थात् असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है।

- आर्थिक और सामाजिक असमानताओं में एक मजबूत संबंध होता है। समाज में निचले क्रम में मौजूद वर्ग ही सबसे गरीब होते हैं।

घेटोआइजेशन

यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुँचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है।

अवसरों की असमानता

- आर्थिक असमानता को उचित या न्यायसंगत मानने वाले इसका कारण 'योग्यता की कमी होना' या 'परिश्रम न करना' मानते हैं।
- कुछ भाग्यवादी लोग इसे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल करार देते हैं।

- जबकि आर्थिक असमानता का वास्तविक कारण पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होना है।
- समाज में विद्यमान अवसरों की असमानता समाज में वंचित व पिछड़े वर्गों के परिश्रम और योग्यता को निरर्थक कर देती है।
- अवसरों की असमानता के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं -

अवसरों की असमानता के कारण

पूर्वाग्रह

↓

यह ऐसी धारणा है जो विषय को जाने बिना और तथ्यों को बिना जांचे परखे केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होती है।

रुढ़िवादिता

↓

इसमें व्यक्तियों के पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर दिया जाता है तथा उस समूह के प्रति अपरिवर्तनीय और कठोर पूर्वाग्रह पाए जाते हैं।

भेदभाव

↓

यह दूसरे समूह या व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है, जिसमें वे उन अवसरों के लिए अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं जो अन्य व्यक्तियों के लिए खुले होते हैं।

नोट- अपरिवर्तन, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पूर्वाग्रह कहते है।

सामाजिक भेदभाव व उसके बहिष्कार के विभिन्न रुप

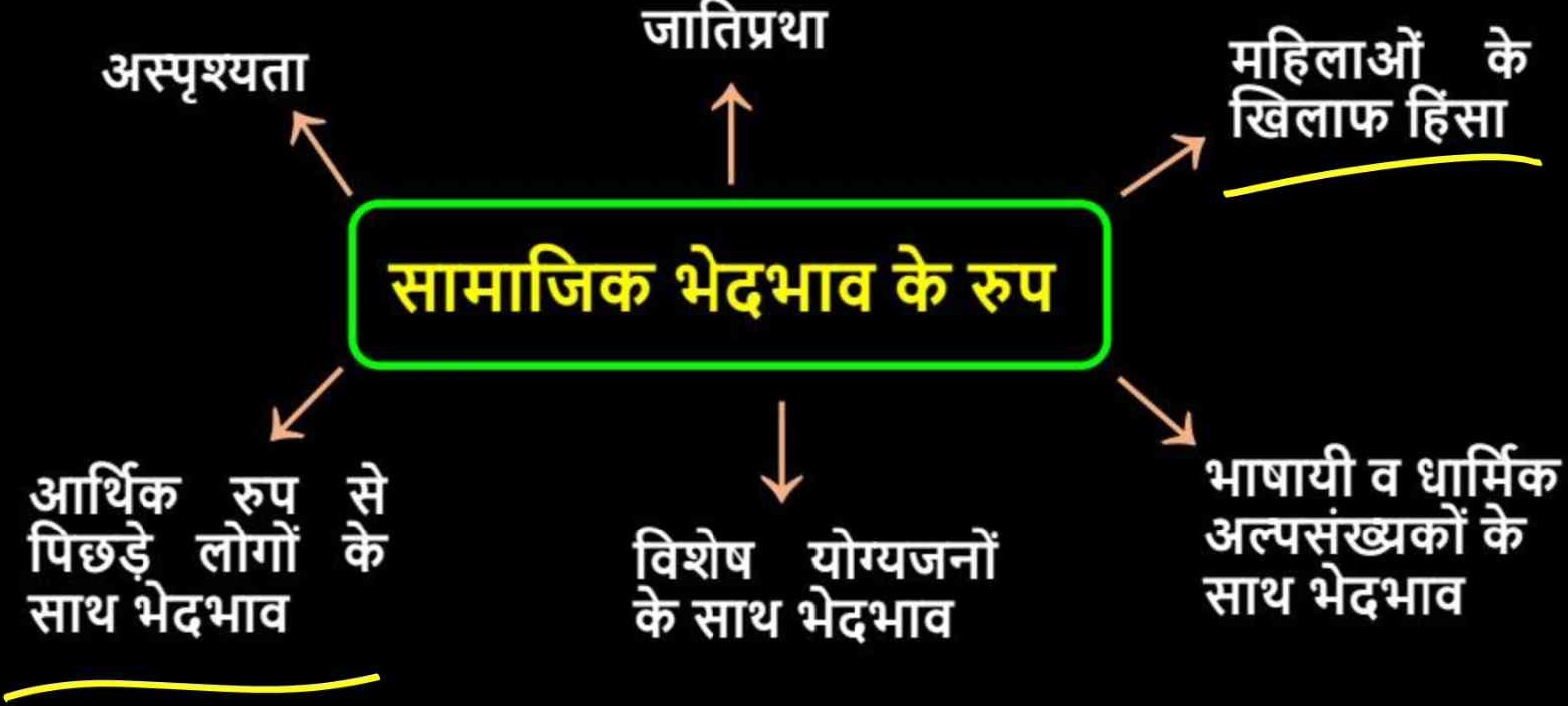

➢ नोट –

1. अस्पृश्यता (छूआछूत) जातिप्रथा का अतिवादी रूप है।
2. जाति-व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा प्रस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती है।
3. मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टिबाधित और शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों को विशेष योग्यजन की श्रेणी में रखा गया है।

❖ भारत सरकार ने देश में वंचित व पिछड़े समुदायों की पहचान कर तीन प्रकार की सूचियां बनाई हैं -

सूची 1	अनुसूचित जाति SC	इसमें समाज की वंचित वर्ग की अति निम्न जातियां शामिल की गई हैं।
सूची 2	अनुसूचित जनजाति ST	इसमें आदिवासी जातियां शामिल हैं।
सूची 3	अन्य पिछड़ा वर्ग OBC	इसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रुप से पिछड़ी जातियाँ शामिल हैं, जो प्रथम व द्वितीय सूची में सम्मिलित नहीं हैं।

सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु किये गये प्रयास

- सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए गए है –

SC ST

1. केन्द्रीय व राज्य विधामंडलों में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए तथा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए कुछ सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थाओं में भी स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं।
2. समाज में जातीय भेदभाव व अस्पृश्यता को समाप्त करने और रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू किया गया है।

3. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा व छेड़छाड़ की रोकथाम हेतु घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 कानून बनाया गया।

4. महिला व पुरुष को समान रूप से जीविका प्रदान करने और समान कार्य हेतु समान वेतन देने के लिए संविधान में निर्देश दिए गए हैं। [अनुच्छेद 39 (घ)]

5. बालश्रम को गैर कानूनी घोषित कर प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कर दिया गया है। [अनु 21A]

6. विशेष योग्यजनों के कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रमों और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

दिव्यांगजन

अनु.29

7. भाषायी व धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने और अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा व लिपि को बनाए रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। [अनुच्छेद 29]

8. 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन्युअल स्केवेंजर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रीन्स (प्रॉहिबिशन) एक्ट, 1993 पारित किया गया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है।

9. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसम्बर, 2013 से लागू हुआ है।

10. भारत सरकार ने 1979 में भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया। इसे मंडल आयोग भी कहते हैं।

10-11

बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल

OBC

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989- इस अधिनियम में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की चर्चा की गई है। जैसे-

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करना।
- अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे या देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है.....।

- ऐसे कृत्य जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है।

SC ST

- अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमतीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसने अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जायेगी।

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार- "न्यायपूर्ण समाज वह है, जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें।

- " जॉन रॉल्स के अनुसार निष्पक्ष एवं न्यायसंगत नियम तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें, जहाँ हमें यह निर्णय लेना पड़े कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, रॉल्स ने इसे 'अज्ञानता के आवरण' में सोचना कहा है।

- इस सिद्धांत का पालन करने पर कोई नहीं जानेगा कि वे आगामी समाज में कौनसी जगह लेंगे, इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा, जो अगर वे सबसे बुरी स्थिति में जीने वालों के बीच पैदा हों तब भी उनकी रक्षा कर सकें। इस प्रकार सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।

कल आपकी class → 10AM – 1PM।

SC → Scheduled cast - अनुसूचित जाति
ST → Scheduled tribe cast ⇒ अनुसूचित जनजाति